

पत्रांक-अम कं०-22/2025(अं)-70

बिहार सरकार

अम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य अम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शालाढी असांगठित कामगार एवं हित्वाक सभासिद्ध संस्था योजना, 2011 के अंतर्गत अम अधीक्षक, सहस्सा के जापाक (कॉलम 4 में वर्णित) के तहत 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरान्त अमिक के अश्रित को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरान्त उनको अश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) एवं बिहार शालाढी असांगठित कामगार एवं हित्वाक सभासिद्ध संस्था योजना (संशोधन), 2024 के अंतर्गत 04 स्वाभाविक मृत्यु के उपरान्त अमिकों के अश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अथवा कुल राशि रु० 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार रुपए) अर्जदान की स्वीकृतिपत्र राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दाहदार कामगारों के अश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दाहदार कामगारों/हित्वाकियों का नाम, उनके अश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मृतक/दाहदार का नाम, उम्र, पति/पत्नी का नाम, कोटि	अश्रित का नाम (संबंध)/ आहार संख्या	अम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं पोस्टाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अर्जदान की राशि	मृत्यु/निःशकलता का कारण, कार्य की प्रकृति	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रु० अश्रित संमा, 32, राणी संमा, अथवा पिछड़ा वर्ग	पूर्वा देवी (पत्नी) 6410 8012 5344	1658 16.12.2025	श्रीम-गादियम, वार्ड-02, श्रीम-सहस्सा, श्रीम-संसाधन, श्रीम-संसाधन	39251 85508	7 03008	रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु अर्जित वालक	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	रु० राजेंद्र यादव, 58, अकाला यादव, पिछड़ा वर्ग	रसली देवी (पत्नी) 5054 2555 3468	1659 16.12.2025	श्रीम-भरनामा वार्ड-01, श्रीम-पुन-पुन, श्रीम-पुन-पुन, श्रीम-पुन-पुन	39806 55857	82444	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक श्रमिक	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	रु० राम यादव, 46, शिव प्रसाद यादव, पिछड़ा वर्ग	शोभा देवी (पत्नी) 5437 6960 7992	1660 16.12.2025	श्रीम-टंकनमा, श्रीम-पुन-पुन, श्रीम-पुन-पुन	40026 01716	82444	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु कोष एवं मजदूर	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	रु० सविता देवी, 45, राधेश्याम साह, अथवा पिछड़ा वर्ग	राधेश्याम साह (पत्नी) 8733 0177 4619	1661 16.12.2025	श्रीम-बकला वार्ड-03, श्रीम-सहस्सा, श्रीम-संसाधन, श्रीम-संसाधन	34606 17487	12645	रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु पर्याप्त	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	रु० श्रीर रसन, 40, आरिहा, श्रीर इतिवास, श्रीर आरिहा	निखत प्रवीण (पत्नी) 9354 0095 0390	1662 16.12.2025	श्रीम-बेजनाथपुर वार्ड-02, श्रीम-बेजनाथपुर, श्रीम-सहस्सा, श्रीम-संसाधन	38197 47018	12645	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु मृत्यु निमित्त का हत्यारा	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6	स्व० चन्दन कुमार, 21, चन्देश्वरी साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	चन्देश्वरी साह (पिता) 3165 8973 6006	1664 16.12.2025	ग्राम+पो०-गोलासा, पो०-गोलासा पश्चिमी, थाना+प्र०-पतरघट जिला-सहरसा 9102417948	44721 01100 00019	BOB BKID00 004472	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्यामायिक मृत्यु, कृषि मजदूर
---	--	--	--------------------	---	-------------------------	-------------------------	--	------------------------------------

कुल राशि :-रु० 3,30,000/-

(तीन लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-22/2025(अंश)-२०

पटना, दिनांक :- 30/12/2025


प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, सहरसा /उप श्रमायुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


30/12/2025

Signed by Rohit Kumar

Date: 30-12-2025 11:50:15

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी



Signed by Rajesh Bharti

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक